

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश नवम्, गिरिडीह**  
**सत्र वाद संख्या— 456 / 2023 + 538 / 2022**

**13.05.2026**

अभियुक्तगण आजाद अंसारी, जुनैद अंसारी एवं अहमद अंसारी की ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया गया, जिसे केवल आज के लिए स्वीकृत किया जाता है।

साक्षी नहीं है। सफाई पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक लोक अभियोजक की ओर से प्रार्थना किया गया कि आरोप पत्र में अंकित सभी आवश्यक साक्ष्यों का साक्ष्य पूर्ण हो चुका है। अतः अभियोजन साक्ष्य बन्द करने की कृपा की जाय।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आरोप पत्र में अंकित सभी आवश्यक साक्ष्यों का साक्ष्य पूर्ण हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में वाद लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः विद्वान सहायक लोक अभियोजक के प्रार्थना को स्वीकृत करते हुये अभियोजन साक्ष्य बन्द किया जाता है।

दिनांक **21.05.2026** वास्ते धारा— 351

बी0एन0एस0एस 2023 के अन्तर्गत अभियुक्त का बयान।  
(लेखापित)

(राजेश कुमार बग्गा)  
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्  
गिरिडीह।